

UNFEEDING WORLD BANK

INTER-STATE PROJECT FOR WELFARE & DEVELOPMENT

CORPORATE OFFICE- BANK OF INDIA BUILDING, IIM-RD,LUCKNOW,UP,INDIA,

Mb-9473673785/ e-mail-info@unfeedingworldbank.com

पत्रांक:एस.जी.एस.वाई. / 2026-27 / 10240

दिनांक:-18.09.2026

सेवा में,
आदरणीय मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ।

विषय:-अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,द्वारा,गैर संगठित क्षेत्रों के सभी किसानों,स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं एवं अन्य सभी जरूरतमंद समूहों को,उनकी किसी भी आवश्यकता के लिए,बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी औपचारिकता के,कैश सहायता के रूप में उपलब्ध कराने के लिये,पात्र लाभार्थियों को चयनित करने में सहयोग करने के लिये,उत्तर प्रदेश,के समस्त सम्मानित जिलाधिकारियों को,पत्र जारी करने के सम्बन्ध में अनुरोध।

आदरणीय महोदय,

आपको निम्नलिखित अवगत कराना है कि -

1-अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,एक अन्तर्राज्यीय फंडिंग परियोजना है,जो गैर संगठित क्षेत्रों के सभी किसानों,स्वयं सहायता समूहों,महिलाओं एवं अन्य सभी जरूरतमंद समूहों को,सीएसआर वेलफेयर फंड से,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक-बिना कुछ भी जमा किये,हर घर लखपति,आरडी-एकाउन्ट, के द्वारा,उनके सभी चिकित्सा,शिक्षा निश्चित रोजगार प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक चयनित बिलों के भुगतान एवं छोटे घरों के निर्माण सहित,उनकी किसी भी आवश्यकता के लिये,बिना ब्याज के ऋण, बिना किसी औपचारिकता के,कैश सहायता के रूप में,सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं चयनित आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से,दुनिया में पहली बार बिल्कुल फ्री,उपलब्ध कराने जा रही है। प्रस्तावित अनफीडिंग वर्ल्ड बैंकों के लिये,सभी कार्य, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, द्वारा किये जायेंगे।

2-भारत सरकार के,आत्मनिर्भर-भारत अभियान के अन्तर्गत,सभी जरूरतमंद लोगों के लिए,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक का,केन्द्रीय मंत्री,आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय,भारत सरकार, द्वारा विकास भवन,लखनऊ के सभागार में,शासन, प्रशासन,मीडिया एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दीप जलाकर भव्य उद्घाटन किया गया था,तथा दिनांक-16.08.2026 को,हाटल ताज, गोमती नगर, लखनऊ, में माननीय उपमुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश सरकार,द्वारा,शासन के वरिष्ठ अधिकारियों,गणमान्य लोगों तथा दुनिया भर की मीडिया की उपस्थिति में, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक-बिना कुछ भी जमा किये,हर घर लखपति योजना,का भव्य शुभारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त,उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रियों एवं आजीविका मिशन,उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा,उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित अधिकारियों को अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिये जा चुके हैं। सम्बन्धित पत्रों की प्रतिलिपियाँ एवं कार्यक्रम की मीडिया रिपोर्ट संलग्न है।

3-उपरोक्त,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,आर्थिक रूप से कमजोर लोगों एवं महिलाओं के सहायताार्थ उनको,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,की विभिन्न कम्पनियों तथा विभिन्न सहयोगी उपक्रमों के फेडरेशन के लाभार्थी,अर्थात्,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक फेडरेशन-सीएसआर वेलफेयर फंड से, छोटे घरों के निर्माण सहित,उनकी किसी भी आवश्यकता के लिये,बिना ब्याज के ऋण,बिना किसी औपचारिकता के,कैश सहायता के रूप में,उपलब्ध कराने के लिये विशेष रूप से संचालित की जा रही है। तथा किसी भी लाभार्थी से कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अनुबन्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित लाभार्थियों की होगी। इसीलिए परियोजना की स्कीमों के सम्बन्ध में किसी भी दावें एवं किसी भी दुष्प्रचार अथवा कानूनी कार्यवाही को,पूर्णतया गैरकानूनी माना जायेगा। अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,के प्रबन्धन के लिए,आउटसोर्सिंग एजेंसियों एवं आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, के उद्देश्यों के अनुसार, अनुबन्ध के आधार पर की जायेगी। आउटसोर्सिंग एजेंसियों एवं कर्मचारियों द्वारा आवेदन के साथ,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक

परियोजना, के सी.ओ.ए. द्वारा सर्वसम्मती से निर्धारित शुल्क एवं सिक्योरिटी का एकाउन्ट पेयी भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त शुल्को,सिक्योरिटी एवं किये जाने वाले समस्त अनुबन्धों में व्यय की गयी राशी की प्रतिपूर्ति,तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान,अनुबन्ध के आधार पर अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना द्वारा,अपने फेडरेशन कं विभिन्न उपक्रमों एवं कम्पनियों के लाभांश शेयर द्वारा किये जायेगे। अर्थात्, भुगतान किये गये,सभी शुल्क शून्य माने जायेंगे। उपरोक्त का,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,द्वारा आडिट कराया जायेगा। एवं आडिट रिपोर्ट को सम्बन्धित प्राधिकरणों को सूचनार्थ उपलब्ध कराया जायेगा। अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना, के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए,समाचार पत्रों में विज्ञापन सहित विकासखण्डों एवं रोजगार कार्यालयों में रोजगार मेला का भी आयोजन किया जायेगा। जिससे सभी पात्र अम्यर्थी योजना से लाभ ले सके। एवं भारतीय कानून में निहित सबको सूचना-सबको अवसर,के सिद्धान्त का पालन किया जा सके। रजिस्टर्ड अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,के उद्देश्यों में इसका, भली प्रकार उल्लेख किया गया है।

4-अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,में पारदर्शिता के लिए,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,के समस्त व्यवसायिक उपक्रमों एवं विभिन्न कम्पनियों के कार्यों का प्रबन्धन एवं अनुश्रवण,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक फेडरेशन,द्वारा किया जायेगा।

5-महोदय,आपसे अनुरोध है कि,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना,की विभिन्न कम्पनियों तथा विभिन्न सहयोगी उपक्रमों के फेडरेशन के लाभांशों,अर्थात्, अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक फेडरेशन-सीएसआर वेलफेयर फन्ड से,सभी जरूरतमंद लोगो को, छोटे घरों के निर्माण सहित, उनकी किसी भी आवश्यकता के लिये, बिना ब्याज के ऋण,बिना किसी औपचारिकता के,कैश सहायता के रूप में,दुनिया में पहली बार बिल्कुल फ्री,उपलब्ध कराने विषयक उपरोक्त,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक-बिना कुछ भी जमा किये,हर घर लखपति, जनहित परियोजना को,जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिये,पात्र लाभार्थियों के चयन में,अनफीडिंग वर्ल्ड बैंक परियोजना द्वारा,अधीकृत अधिकारियों को,निशुल्क सूचना एवं कन्सलटेसी देने के लिये, अपने जनपद के, समस्त विकासखण्ड कार्यालयों में,उचित बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिये,उत्तर प्रदेश के समस्त सम्मानित जिलाधिकारियों को पत्र द्वारा,निर्देशित करने का कष्ट करें। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेगे। आदर सहित।

भवदीय

Digitally signed by r.k.nigam

Date-18.09.2026, at 11.30 am.

(आर.के.निगम)

निदेशक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आदरणीय प्रधानमंत्री,भारत सरकार,नई दिल्ली।
- 2-आदरणीय मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ।
- 3-पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ।
- 4-समस्त विभागाध्यक्ष एवं सचिव,उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ।
- 5-समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त पुलिस अधीक्षक,उत्तर प्रदेश।
- 7-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
- 8-समस्त प्रिंट एवं चैनल मीडिया,उत्तर प्रदेश।

Digitally signed by r.k.nigam

Date-18.09.2026, at 11.30 am.

(आर.के.निगम)

निदेशक